बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक .....

आदेश संख्या–08/आ०5–28/2020...../क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 172 दिनांक 26.08.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी कंचनलता, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बाँका–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र में विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होने के उपरान्त भी निबंधन नहीं करने एवं राशि की मांग करने, शिक्षकों के सेवापुस्तिका अद्यतन करने में अवैध वसूली करने, नव नियुक्त नियोजित शिक्षकों को नियम के विपरीत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान करने एवं उनका शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का अनाधिकृत रूप से जाँच करने का प्रयास करने, प्रखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, धोरैया द्वारा शिक्षकों की समस्या हेतु वार्ता का अनुरोध किये जाने पर अनसुना करने, श्री अनिल कुमार दास, प्रखंड साधन सेवी, धोरैया की उम्र 58 वर्ष 06 माह से अधिक रहने के बावजूद भी प्रखंड साधन सेवी के पद पर बनाये रखना एवं विभागीय नियमों के प्रतिकूल कार्य करने संबंधित आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. तदालोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 854 दिनांक 14.11.2022 द्वारा श्रीमती कुमारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। श्रीमती कुमारी के पत्रांक 18 दिनांक 30.11.2022 द्वारा अपना लिखित बचाव अभिकथन उपलब्ध कराया गया।

उक्त लिखित बचाव अभिकथन पर निदेशालय के पत्रांक 165 दिनांक 01.03.2023, पत्रांक 670 दिनांक 02.08.2023, पत्रांक 1063 दिनांक 06.12.2023, पत्रांक 663 दिनांक 13.08.2024 एवं पत्रांक 788 दिनांक 23.09.2024 द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर के पत्रांक 171 दिनांक 23.09.2024 द्वारा उक्त मामले में मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। मंतव्य प्रतिवेदन में श्रीमती कंचनलता के बचाव अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं माना गया।

3. श्रीमती कुमारी से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित प्रतीत होने के कारण निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1060 दिनांक 29.11.2024 द्वारा श्रीमती कुमारी कंचनलता के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), बाँका को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदित है कि विद्यालय शिक्षा समिति का गठन होने के उपरांत भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति का निबन्धन क्रमिक रूप से नहीं किया गया एवं कई विद्यालयों को निबन्धन की स्वीकृति नहीं दी गयी। इस संबंध में संबंधित विद्यालयों का निबंधन विलंब से करने एवं स्वीकृति नहीं देने वाले विद्यालयों के नाम का भी अंकन किया गया है। शिक्षकों के सेवापुस्तिका को अद्यतन नहीं करने के संबंध में प्रतिवेदित है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के प्रतिवेदन में अंकित है कि कुछ शिक्षकों का सेवापुस्तिका अद्यतन किया गया जबकि कुछ सेवापुस्तिका बी०आर०सी० कार्यालय में बिना अद्यतन रखा पाया गया। सेवापुस्तिका का अद्यतनीकरण लम्बित रखने का कोई वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। उनके द्वारा सेवापुस्तिका के अद्यतनीकरण को लंबित रखना

2

उनके गलत मंशा को परिलक्षित करता है। नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को नियम के विपरीत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान के लिए बाध्य करना के संबंध में प्रतिवेदित है कि इनके द्वारा नियम विरूद्ध कार्य किए जाने का प्रमाण है। नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र का अनाधिकृत रूप से जाँच करने का प्रयास करना के संबंध में प्रतिवेदित है कि उक्त आशय का कोई विभागीय आदेश संसूचित नहीं रहने के बावजूद इनके द्वारा प्रखंड कार्यालय में शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना नियम विरूद्ध था। प्रखंड प्राथमिक शिक्षक संघ, धोरैया द्वारा शिक्षक की समस्या हेतु वार्त्ता का अनुरोध किए जाने पर भी अनसुना करना के संबंध में प्रतिवेदित है कि शिक्षक संघ द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में उनके साथ वार्त्ता हेतु प्रयास न कर उनका अनुरोध ठुकराते रहे। श्री अनिल कुमार दास, प्रखंड संसाधन सेवी, धोरैया की उम्र 58 वर्ष 6 माह से अधिक रहने के बावजूद प्रखंड संसाधन सेवी के पद पर बनाए रखना के संबंध में प्रतिवेदित है कि प्रखंड संसाधन केन्द्र के लिए प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल संसाधन केन्द्र के लिए संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक चयन कार्य से संबंधित मार्गनिर्देशिका 2017 में कार्यकाल चयन की तिथि से 3 वर्ष के लिए उल्लेखित है। उक्त अवधि के बाद भी उनसे कार्य लिया जाना इनकी स्वेच्छाचारिता है।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप के सभी बिन्दु को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। निदेशालय के पत्रांक 1091 दिनांक 15.10.2025 द्वारा उक्त प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्रीमती कुमारी से लिखित अभ्यावेदन की माँग की गयी। श्रीमती कुमारी के पत्रांक 656 दिनांक 08.11.2025 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा जो लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, उसमें कोई भी नया तथ्य/साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, जिससे प्रमाणित प्रतिवेदित आरोप से अलग मत गठित किया जा सके। अवैध राशि की वसूली के संबंध में कोई भी साक्ष्य संलग्न नहीं है। तथापि आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र एवं प्रमाणित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि इनका अपने कार्यालय पर नियंत्रण नहीं था। श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। इनके द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है।

6. अतः समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी कंचनलता, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धोरैया, बाँका–सम्प्रति–प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर के विरूद्ध "आदेश निर्गत होने की तिथि से सेवानिवृत्ति की तिथि तक असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में एक निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति" का दंड अधिरोपित करते हुए इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

7. इस दण्ड की प्रविष्टि श्री कुमारी कंचनलता के सेवा पुस्त में की जायेगी।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08/आ०5–28/2020 100 / पटना, दिनांक 14/01/2026

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर एवं बाँका/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), मुंगेर एवं बाँका/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती कुमारी कंचनलता, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, तारापुर, मुंगेर एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।